A-PDF OFFICE TO PDF DEMO: Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

कृषि सांख्यिकी

कृषि सांख्यिकी का समस्त कार्य अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में तथा संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी) के प्रावैधिक नियंत्रण में कराया जाता है। प्रदेश के मैदानी भागों में कृषि वर्ष के तीनों मौसमों यथा खरीफ, रबी व जायद तथा पर्वतीय भाग में कृषि वर्ष दो मौसमों यथा खरीफ व रबी में राजस्व विभाग द्वारा लेखपालों/पटवारियों के माध्यम से पड़ताल के आधार पर विभिन्न फसलों से आच्छादित सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रफल के आंकड़ों के साथ–साथ भूमि उपयोगिता सम्बन्धी आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं।

प्रत्येक मौसम में पटवारी/लेखपाल पड़ताल के समय खसरा रजिस्टर में प्रत्येक खसरा नम्बर के सम्मुख पाई गई फसल सिंचित एवं असिंचित के रूप में, जैसी भी स्थिति हो, प्रविष्टि करता है। मौसम विशेष में समस्त खसरा नम्बरों में प्रविष्टि के उपरान्त पटवारी/लेखपाल खसरा पृष्ठवार योग करता है तथा अन्त में समस्त खसरा पृष्ठों का योग करते हुए उस मौसम में गॉव विशेष में बोई गई विभिन्न फसलों सें आच्छादित सिंचित व असिंचित क्षेत्रफल के आंकड़ों को ज्ञात करता है। इन योगों के आधार पर गॉव का जिंसवार तैयार किया जाता है। तहसील स्तर पर तहसील के अन्तर्गत प्रत्येक गॉवों से प्राप्त जिंसवारों को टोटलिंग रजिस्टर में अंकित करते हुए ग्राम पंचायत वार, विकासखण्डवार एवं तहसीलवार जिंसवार तैयार किया जाता है। जनपद स्तर पर तहसीलों से प्राप्त जिंसवारों को समेकित करते हुए जनपदीय जिंसवार निम्न तिथियों को राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून तथा संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून में उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश स्तर पर जिंसवार एवं मिलान खसरा के प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथियॉ

मौसम	जिलाधिकारी (भूलेख अनुभाग द्वारा)	
	पर्वतीय भाग	मैदानी भाग
खरीफ जिन्सवार	10 दिसम्बर	25 नवम्बर
रबी जिन्सवार	01 जुलाई	15 अप्रैल
जायद जिन्सवार	–	01 जुलाई
मिलान खसरा	10 जुलाई	10 जुलाई

राजस्व परिषद में जनपदों से प्राप्त जिंसवारों में प्रतिवेदित क्षेत्रफल के आंकड़ों का परीक्षण एवं संकलन करते हुए विभिन्न फसलों के अन्तर्गत जनपद एवं प्रदेश स्तर के क्षेत्रफल के अनुमान तैयार किये जाते है। उपरोक्त खरीफ, रबी एवं जायद की पड़ताल का निरीक्षण जिले के सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जाता है तथा तत्सम्बन्धी आख्या अध्यक्ष, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित की जाती है।

टाईमली रिपोर्टिंग स्कीम (Timely Reporting Scheme, TRS)

उपरोक्तानुसार फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल के आंकड़े पड़ताल समाप्त होने की तिथि से राजस्व परिषद स्तर पर प्राप्त होने तक लगभग तीन से छह माह का समय लग जाता है जबकि प्रदेश एवं भारत सरकार को खाद्य नीति निर्धारण के लिए फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल एवं उपज के पूर्वानुमान की आवश्यकता पहले ही होती है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 1968–69 से टाईमली रिपोर्टिंग योजना (टी.आर.एस.) लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी भागों में प्रत्येक वर्ष कुल राजस्व गांवों का 1/5 गांव न्यादर्श प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर चयन करके इन चयनित गॉवों में पड़ताल के प्रारम्भ होने की तिथि से प्राथमिकता के आधार पर पड़ताल सम्पन्न कराते हुए फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल एवं उपज के पूर्वानुमान तैयार किये जाते है। पर्वतीय भाग में विपरीत स्थितियां (अधिक राजस्व ग्राम, अधिक खसरा नम्बर, कम क्षेत्रफल तथा कम स्वीकृत पद) होने की वजह से प्रत्येक पटवारी को क्षेत्र में वर्ष के रोस्टर के प्रथम गांव में प्राथमिकता के आधार पर पड़ताल सम्पन्न कराते हुए फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल एवं उपज के पूर्वानुमान तैयार किये जाते है। सामान्य पडताल (गिरदावरी) एवं प्राथमिकता के आधार पर की जा रही (टी.आर.एस.) पड़ताल का कार्य तीनों कृषि मौसमों यथा खरीफ, रबी एवं जायद में लेखपालों/पटवारियों द्वारा निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार किया जाता है–

मैदानी क्षेत्र

क्र0सं0	मौसम	सामान्य पड़ताल	टी.आर.एस. पड़ताल
1	खरीफ	10 अगस्त से 25 सितम्बर	10 अगस्त से 19 अगस्त
2	रबी	1 जनवरी से 15 फरवरी	1 जनवरी से 10 जनवरी
3	जायद	01 मई से 31 मई	01 मई से 10 मई

पर्वतीय क्षेत्र

क्र0सं0	मौसम	सामान्य पड़ताल	टी.आर.एस. पड़ताल
1	खरीफ	10 अगस्त से 31 अक्टूबर	10 अगस्त से 31 अगस्त
2	रबी	15 जनवरी से 15 मई	1 जनवरी से 8 फरवरी

प्राथमिकता के आधार पर की गई पड़ताल के आधार पर पटवारी/लेखपाल द्वारा भरी हुई टी.आर. एस. तालिकाएं निम्न समय सारिणी के अनुसार संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध कराई जाती हैं:–

मौसम	टी.आर.एस. तालिकाएं निदेशालय पहॅुचने की निर्धारित अन्तिम तिथि	
	पर्वतीय भाग	मैदानी भाग
1. खरीफ	15 सितम्बर	31 अगस्त
2. रबी	20 फरवरी	31 जनवरी
3. जायद	–	25 मई

योजना के उद्देश्य

1. खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में मुख्य फसलों के क्षेत्रफल सम्बन्धी विश्वसनीय प्राथमिक अनुमान फसलों की बुवाई के तुरन्त बाद एवं फसलों के उत्पादन सम्बन्धी अनुमान फसलों के कटाई के तुरन्त बाद उपलब्ध कराना।
2. मुख्य फसलों के कुल एवं सिंचित क्षेत्रफल के अनुमान अलग–अलग निकालना।
3. प्रमुख फसलों के उन्नतशील प्रजाति के क्षेत्रफल का अनुमान लगाना।

टी.आर.एस. की प्रगति

मौसम	2012–13			2013–14		
	नियोजित	प्राप्त	प्रतिशत	नियोजित	प्राप्त	प्रतिशत
खरीफ	1680	1667	99.23	1675	**1671**	**99.76**
रबी	1680	1675	99.70	1675	**मार्च, 2014 तक**	
ज़ायद	474	474	100.00	478	**जून, 2014 तक**	
योग	3834	3816	99.53	3828		

टी.आर.एस. से अनुमानित क्षेत्रफल (है0 में)

फसल	2012–13	2013–14	फसल	2012–13	2013–14	फसल	2012–13	2013–14
खरीफ			रबी			जायद		
धान	249284	**239917**	गेहूं	355549	**मार्च, 2014 तक**	धान	13512	**जून, 2014 तक**
मक्का	27895	**24884**	ज़ौ	20712		मक्का	47	
मण्डुवा	124618	**112148**	कुल धान्य	376738		कुल धान्य	13807	
सावां	66929	**55937**	मसूर	11794		कुल दालें	80	
कुल धान्य	475819	**441160**	मटर	4892				
उर्द	14966	**14557**	कुल दालें	17257				
गहत	13294	**15137**	कुल तिलहन	18568				
अरहर	3027	**3368**						
अन्य दालें	12429	**14514**						
कुल दालें	43716	**47576**						
कुल तिलहन	13760	**18058**						

फसल उत्पादन सर्वे (General Crop Estimation Survey, GCES)

खरीफ, रबी तथा जायद की मुख्य खाद्य व अखाद्य फसलों की उपज के अनुमान लगाने के लिए मुख्य फसलों पर न्यादर्श सर्वेक्षण पर आधारित क्राप–कटिंग प्रयोग कराये जाते है। ये प्रयोग अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड के प्रशासनिक नियंत्रण में तथा संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी), उत्तराखण्ड के प्रावैधिक आदेशों के अनुसार कराये जाते है। इस कार्य में कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड और उनके विभाग के अधिकारी तथा जिला स्तर पर राजस्व विभाग, विकास विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारीगण समुचित सहयोग देते हैं एवं समय–समय पर जिलाधिकारी द्वारा आवंटित क्षेत्रीय कार्य (क्राप–कटिंग) का निरीक्षण करते है।

क्र0 सं0	मौसम/फसलें	2011–12			2012–13			2013–14		
		नियोजित	विश्लेषित	%	नियोजित	विश्लेषित	%	नियोजित	विश्लेषित	%
खरीफ		**4838**	**4346**	**90**	**4748**	**4186**	**88**	4710		
1	चावल	2306	2176	94	2300	2080	90	2300	2186	95
2	मण्डुवा	1084	994	92	1086	986	91	1086	1022	94
3	सावां	610	550	90	610	560	92	612	578	94
4	मक्का	110	74	67	100	48	48	90	80	89
5	उर्द	98	92	94	104	88	85	102	61	60
6	गहत	110	104	95	120	120	100	126	79	63
7	मूंगफली	20	16	80	20	10	50	10	10	100
8	सोयाबीन	60	42	70	60	50	83	62	62	100
9	आलू	270	202	75	218	156	72	218	154	71
10	अदरक	170	96	56	130	88	68	128	72	56
11	रामदाना	-	-	-	-	-	-	20	16	80
रबी		**3370**	**3204**	**95**	**3328**	**3092**	**93**	3342		
1	गेहूं	2196	2128	97	2196	2136	97	2200		
2	ज़ौ	660	642	97	664	640	96	664		
3	मसूर	170	152	89	180	103	57	192		
4	लाही/सरसों/तोरिया	64	54	84	50	24	48	52	जून, 2014 तक	
5	आलू	280	228	81	238	189	79	154		
ज़ायद		**40**	**36**	**90**	**40**	**36**	**90**	40		
1	चावल	30	30	100	30	30	100	30	जुलाई, 2014	
2	उर्द	10	6	60	10	6	60	10		
कुल योग		**8248**	**7586**	**92**	**8116**	**7314**	**90**	**8092**		

नोटः– रामदाना, उर्द (खरीफ एवं ज़ायद), गहत, मसूर, अदरक, आलू (खरीफ एवं रबी) की उत्पादकता ज्ञात करने हेतु इन फसलों पर पायलट आधार पर क्राप–कटिंग प्रयोग शुरू किये गये हैं।

कृषि सांख्यिकी के सुधार की योजना (Improvement in Crop Statistcs, ICS)

फसलों के वास्तविक आच्छादित क्षेत्रफल तथा उपज के आंकलन की वर्तमान प्रणाली में आने वाली विसंगतियों एवं अवरोधों को ज्ञात करने के उपायों की खोज करने हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में वर्ष 1974–75 ''कृषि सांख्यिकी के सुधार की योजना'' (आई.सी.एस.) प्रारम्भ की गयी। यह योजना कृषि सांख्यिकी एवं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार दोनों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बराबर–बराबर सैम्पल के निरीक्षण पर आधारित है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार द्वारा चयनित 110 राजस्व ग्रामों में पड़ताल जांच, खसरा रजिस्टर में पृष्ठवार योग की जांच तथा 75 ग्रामों में क्राप कटिंग जांच कार्य बराबर–बराबर सैम्पल के आधार पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार के कृषि सांख्यिकीय अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

सूचना तंत्र का सुदृढीकरण

कृषि विभाग में सूचना तंत्र के सुदृढीकरण एवं कृषको को कृषि संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराने तथा विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे कार्यक्रमों को जनसाधारण के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है–

किसान सूचना एवं सलाह केन्द्रों का निर्माण

राज्य में किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियॉ उपलब्ध कराने हेतु 82 किसान सूचना एवं सलाह केन्द्र स्वीकृत किये गये है जिनमें से 74 का निर्माण किया जा चुका है।

फार्मर्स पोर्टल

भारत सरकार द्वारा संचालित फार्मर्स पोर्टल के अन्तर्गत **दिसंबर, 2013 तक 9040 किसानों** को जोडा गया है. इसके अन्तर्गत मोबाइल फोन पर एस0 एम0 एस0 के माध्यम से कृषकों को कृषि संबन्धी जानकारियां समय–समय पर प्रदान की जा रहीं हैं।

वेबसाइट का निर्माण

कृषि संबंधी मुख्य जानकारियॉ इन्टरनेट के माध्यम से किसानों एवं जनसाधारण के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने की दृष्टि से वेबसाइट का निर्माण किया गया है। वेबसाइट में केवल कृषि संबंधी जानकारियॉ ही नहीं अपितु कृषि से संबंधित सभी विषयों यथा उद्यानीकरण, पशुपालन, रेशम पालन, मत्स्य पालन आदि सभी विषय सम्मिलित किये गये हैं. वेबसाइट कृषि संवर्गीय विभिन्न विभागों द्वारा किसानों को उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं, सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का विवरण आदि विविध सूचनाओं से परिपूर्ण होगा जिससे राजकीय कार्य में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

काल सेंटर

किसानों को दूरभाष पर कृषि संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कृषि निदेशालय में काल सेंटर स्थापित है, जिसका नम्बर 180 18000 11 है। **वर्ष 2013–14 में माह जनवरी 2014 तक 258 किसानों द्वारा विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त की गयी।**